

EJ6165645981N

प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय,
संथाल परगना प्रमंडल, दुमका।

पत्रांक.....26 / रा0

~~XIV-3/12~~ 30/02/17
प्रमंडल-101
28/2/17
पुलाग हवाय राप/राम/राप
क्या दिनांक 15/2/17
27-02-2017

11
22/2/17
प्रप्रक.
सेवा में
22 FEB 2017
ADU

आयुक्त के सचिव,
संथाल परगना प्रमंडल,
दुमका।

उपायुक्त,
देवघर।

दुमका, दिनांक.....15.2.2017

विषय :-

देवघर जिलान्तर्गत देवघर हवाई अड्डा विस्तारीकरण हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के क्रियान्वयन हेतु प्रपत्र अनुमोदन करने के संबंध में।

प्रसंग :-

आपका पत्रांक-119/रा0, दिनांक-24.01.2017

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त देवघर जिलान्तर्गत देवघर हवाई अड्डा विस्तारीकरण हेतु अधिग्रहित की जाने वाली भूमि में विस्थापित एवं प्रभावित होने वाले परिवारों को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के निमित्त भूमि अर्जन अधिनियम-2013 के द्वितीय एवं तृतीय अनुसूची के अनुरूप समुचित सुविधा प्रदान करने हेतु प्रेषित प्रपत्र-X एवं XI को The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act-2013 के नियम-17 (2) एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (भू-अर्जन निदेशालय), झारखण्ड, राँची के अधिसूचना ज्ञापांक-39/नि0रा0, दिनांक-13.02.2015 के आलोक में स्वीकृत किया जाता है।

अनुलग्नक-

प्रपत्र-X एवं XI मूल में।

विश्वासभाजन,

आयुक्त के सचिव,
संथाल परगना प्रमंडल,
दुमका।